भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBA No. 23/2024

No.2024/AC-I/6/1 New Delhi, dated: 09 -07-2024

The General Managers,
All Indian Railways & PUs etc.

Sub:- Addendum to ACS-08 to Indian Railway Finance Code Volume-II.
Ref:- Railway Board's letter no. No.2024/AC-I/6/1 dated 02.07.2024

Attention is invited to Board's letter of even no. dated 02.07.2024 (RBA 20/2024) vide which ACS-08 has been issued **to introduce a New Primary Unit namely** "PU-49 - Outsourcing of Manpower for track maintenance" in Classification of Accounts of Expenditure and Revenue governed by the guidelines given in IRFC Volume-II (Second Revised Edition 2022) Appendices.

Description of PU-49 - Outsourcing of Manpower for track maintenance has been modified and shall be read as under:

"PU No. 49 – Primary Units (Objects) of Expenditure (Revenue) - Outsourcing of Manpower/activities for track maintenance

Contents of the corrigendum issued vide ACS No.10 may please be circulated suitably for information and compliance.

Please acknowledge the receipt.

DA: As above

(Vipul Tripathi)
Director Accounts
Railway Board

No.2024/AC-I/6/1 **New Delhi, dated: 09 -07-2024**

Copy to:

i) Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
ii) PFAs, Indian Railways.
iii) AC-II, AC-III, AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection, Accounts Appropriation, Finance (Budget), Pay & Accounts/Rly Bd.
iv) RBCC for uploading in Accounts Compendium-2024
v) OSD/MR/OSD/Coord to MR, Additional PS/MR

Advance Correction Slip No. 10

INDIAN RAILWAY FINANCIAL CODE VOLUME-II

(Second Revised Edition 2022)

Classification of Accounts of Expenditure and Revenue (Appendices)

Classification of Revenue Expenditure (Appendix-I)

Contents of the Advance Correction Slip No. 08 shall be read as under:-

Description of PU-49 - Outsourcing of Manpower for track maintenance shall be read as under:

"PU No. 49 – Primary Units (Objects) of Expenditure (Revenue) - Outsourcing of Manpower/activities for track maintenance"

(Authority: Board's letter no. 2024/AC-I/6/1 dated 09 -07-2024)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 23/2024

सं. 2024/एसी-I/6/1

नई दिल्ली, दिनांक: 09-07-2024

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-II की शुद्धि पर्ची संख्या 08 का परिशिष्ट।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 02.07.2024 का पत्र सं. 2024/एसी-I/6/1.

बोर्ड के दिनांक 02.07.2024 के समसंख्यक पत्र (आरबीए 20/2024) की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-II (द्वितीय संशोधित संस्करण 2022) परिशिष्टों में दिए गए दिशानिर्देशों द्वारा शासित खर्च और राजस्व के लेखे-जोखे के वर्गीकरण में "प्राथमिक इकाई-49 - रेलपथ अनुरक्षण के लिए जनशक्ति को ठेके पर लेना" नामक नई प्राथमिक इकाई जोड़ने के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.-8 जारी की गई है।

प्राथमिक इकाई-49 का विवरण - रेलपथ अनुरक्षण के लिए जनशक्ति को ठेके पर लेना को संशोधित किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"प्राथमिक इकाई-49 - खर्च (राजस्व) की प्राथमिक इकाइयां (उद्देश्य) - रेलपथ अनुरक्षण के लिए जनशक्ति/गतिविधियों को ठेके पर लेना"

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 10 के तहत जारी शुद्धिपत्र की विषय-वस्तु को सूचना और अनुपालन के लिए उपयुक्त रूप से परिपत्रित किया जाए।

कृपया पावती दें।

संलग्नक : यथोक्त

(विपुल त्रिपाठी)
निदेशक, लेखा
रेलवे बोर्ड

सं. 2024/एसी-I/6/1

नई दिल्ली, दिनांक: 09-07-2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

i. भारत के उप नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
ii. प्रधान वित्त सलाहकार, भारतीय रेलें।
iii. लेखा-II, लेखा-III, लेखा-IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, वित्त (बजट), वेतन एवं लेखा/रेलवे बोर्ड।
iv. लेखा सार-संग्रह-2024 में अपलोड करने के लिए आरबीसीसी।
v. विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, रेल मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी/समन्वय, अपर निजी सचिव/रेल मंत्री

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 10

भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द II
(द्वितीय संशोधित संस्करण 2022)

खर्च और राजस्व का लेखा-वर्गीकरण (परिशिष्टियां)
खर्च राजस्व का वर्गीकरण (परिशिष्ट -I)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.8 की विषय-वस्तु को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

प्राथमिक इकाई-49 का विवरण -रेलपथ अनुरक्षण के लिए जनशक्ति को ठेके पर लेना की विषय-वस्तु को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"प्राथमिक इकाई सं. 49 - खर्च (राजस्व) की प्राथमिक इकाई (उद्देश्य) - रेलपथ अनुरक्षण के लिए जनशक्ति/गतिविधियों को ठेके पर लेना"

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 09.07.2024 का पत्र सं. 2024/एसी-I/6/1)
